

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1470]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 10, 2015/ आषाढ़ 19, 1937

No. 1470]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 10, 2015/ASHADHA 19, 1937

गृह मंत्रालय

(आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 जुलाई, 2015

का.आ. 1862(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा-11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नगर सिविल न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बाम्बे (न्यायालय सं. 26) को, 2010 की दाण्डिक अपील सं. 1969-70 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार 2009 के दाण्डिक मामला सं.1 (मालेगांव बम विस्फोट) तथा उक्त प्रकरण से संबंध में उत्पन्न होने वाले अन्य सभी मामलों के परीक्षण के लिए उक्त अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ एतद्वारा, विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित करती है।

अतः अब, केन्द्रीय सरकार उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मुंबई उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायाधीश की संस्तुति पर, श्री एस.डी. टेकाले, न्यायाधीश, नगर सिविल न्यायालय एवं अपर सत्र न्यायाधीश, ग्रेटर बाम्बे को उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने हेतु एतद्वारा न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है।

[सं.17011/50/2009-आई एस-VI (IV)(पी-2)]

एम.ए.गणपति, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(INTERNAL SECURITY-I DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th July, 2015

S.O.1862(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 11 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government hereby notifies the City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay (Court No. 26) as Special Court for the purpose of the sub-section (1) of section 11 of the said Act for trial of criminal case No. 1 of 2009 (Malegaon Bomb Blast) and all other matters arising therein, related to the said case, as per the directions of the Hon'ble Supreme Court of India in Criminal Appeal No. 1969-70 of 2010.

Now therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 11 of the said Act, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice of the High Court of Bombay, hereby appoints Shri S.D.Tekale, Judge, City Civil Court and Additional Sessions Judge, Greater Bombay as the Judge to preside over the said Special Court.

[No. 17011/50/2009-IS.VI (IV) (P-2)]

M. A. GANAPATHY, Jt. Secy.